अस्वीकरण: क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय से आशय केवल पक्षकारों को उनकी अपनी भाषा में समझने के लिए है एवं इसका प्रयोग किसी अन्य उद्धेश्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक एवं कार्यालयीन उद्धेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण हीं प्रमाणित होगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्धेश्य के लिए प्रभावी माना जाएगा ।

रिर्पोटेबल

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलेट ज्युरिस्डिक्शन

सिविल अपील न0 5822 ऑफ–2019

(एस. एल. पी (सीविल) नं0 32979 ऑफ 2016 से उत्पन्न)

रंधीर कौर **अपीलकर्ता**

बनाम

पृथवी पाल सिंह एवं अन्य **प्रतिवादी**

फैसला

हेमंत गुप्ता , न्यायमूर्ती.

अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अपीलकर्ता मुद्दई है, जिसने 193 कनाल 18 मरला जमीन (कीमत Rs. 1,27,000/- per acre) के संबंध में किए गए मुआहदा बैच दिनांक नवम्बर 5, 2004 की तकमील मांगी है । मुआहदा बैच के वक्त प्रतिवादी न. 1 एवं 2 को 12,50,000/- एवं 1,00,000/- रूप्ए बतौर बयाना अदा किए गए थे। बैच नामा रिजिस्ट्री कराने के लिए 30 जनवरी 2005 मुकर्रर की गई थी। दावा तकमील मुआहदा खास 3 अप्रील 2006 को फाईल की गई थी ।

3. जजमेंट एवं डिक्री दिनांक 13 अप्रील 2010 के जरिए मान्नीय ट्रायल कोर्ट ने सूट को डिक्री कर दी। इस फैसले एवं डिक्री के खिलाफ डाले गए अपील को 11 अगस्त 2012 को खारिज कर दिया गया । लेकिन सेकेंड अपील में, the decree for specific performance of the agreement को

खारिज तो कर दिया गया लेकिन decree for recovery of Rs. 13,50,000/- , जो अपीलार्थी के द्वारा भुगतान किया गया था, उसे 12% ब्याज की दर से मंजूर कर दिया गया । उच्च न्यायालय ने यह माना कि मुदई मुआहदे की तकमील के लिए तैयार था, और धवंत सिंह अपीलकर्ता की ओर से बतौर attorney नहीं था।

4. अपीलकर्ता –मुद्दई के वकील ने यह दलील दी कि Pankajakshi (D) through LRs & Ors. V. Chandrika & Ors' में इस कोर्ट के फैसले के मद्देनजर substantial question of law (मुख्य कानूनी बिन्दू) को फ्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ सकती है, लेकिन सेकंड अपील में, पंजाब न्यायालय अधिनियम 1918 की धारा 41 के संदर्भ में भी रिकार्ड किए तथ्य के निष्कर्ष के साथ हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

5. यह दलील दी गयी है कि उच्च न्यायालय ने एसा कोई तथ्य रिकार्ड नहीं किया है, जिससे पंजाब अधिनियम की धारा 41 में निर्धारित परिक्षण संतुष्ट हो पाते हैं। यह भी दलील पेश की गई है कि यद्यपि पहली मुखतारनामा दिनांक 29 सितंबर 1999 इस विवादित भुमी के बारे में नहीं था, लेकिन बाद वाले मुखतारनामा दिनांक 14 सिंतंबर 2005 में, अपीलकर्ता ने अटॉर्नी धनवत सिंह के सभी कार्यो बशमूल चल एवं अचल सम्पत्ति की खरीद (उसके नाम से एवं कहीं भी) की पुष्टि की है। यह भी तर्क दिया गया है कि एग्रीमेंट दिनांक 5 नवंबर 2004 को अपीलकर्ता ने अपने लड़के धनवत सिंह , जिसके हक में पंजीकृत मुखतार नामा 14 सिंतंबर 2005 को लिखा गया था के जरिए स्वीकारा था। यह तर्क/दलील की धनवत सिंह अपनी मॉ की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं है, बिल्कुल भी टिकने वाला नहीं है, क्योंकि प्रतिवादिगण ने धनवत सिंह से राशि वसूल की हुई है। जब कोर्ट ने निम्नलिखित तथ्यों को रिकार्ड किया, तब उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि 13,50,000/- ,रूपये कि धनराशि धनवत सिंह के जरिए अपीलकर्ता ने भुगतान किया था।:

> "17 केस के तथ्यों को देखने से यह मालूम पड़ता है कि इकरार नामा बैच दिनांक 5 नवंबर 2004 (Ex P-1), 13.5 लााख रूपया बतौर बयाना प्राप्त करने के बाद अपीलार्थी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 एवं 2 द्वारा अपनी ओर से एवं प्रतिवादी सं0 3 एवं 4 की ओर से , तय किया गया । हालॉकि अपीलार्थी–प्रतिवादी न0 1 एवं 2 के वकील ने बयाना राशि को विवादित करार दे दिया गया है, लेकिन इस संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं है। अतः यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि इकरार नामा बैच (Ex P-1), प्रतिवादी सं0 1 एवं 2 द्वारा , 13.5 रूपया बतौर बयाना वसूल करने के बाद, निष्पादन (execute) किया गया । अपीलार्थीगण–प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी –मुदई द्वारा भी अन्यथा इस दस्तावेज के निष्पादन (execution) को विवादत नहीं ठहराया गया है। अन्यथा,

दस्तावेज में निहित बयान के मद्देनजर ,कोई भी मौलिक साक्ष्य को विचार में नहीं लिया जा सकता ।

6. उपर्युक्त रिकॉड किए तथ्यों के मद्देनजर यह तर्क दिया गया है कि इस आधार पर कि धनवत सिंह अपीलकर्ता द्वारा अधिकृत नहीं था एवं यह कि अपीलकर्ता खुद गवाह के तौर पर हाजिर नहीं हुआ , उच्च न्यायालय द्वारा दावा तकमील मुआहदा खास की राहत न देकर "material illegality" की।

7. यह भी दलील दी गयी है कि प्रतिवादीगण ने अपने लिखित ब्यान में ऐसा कोई तर्क पेश नहीं किया है कि घनवत सिंह मुद्दई की ओर से इकरार नामा करने के लिए अधिकृत नहीं था।

8. दूसरी तरफ, श्री नीरज कुमार जैन, प्रतिवादिगण के वरिष्ट वकील, ने यह निवेदन किया है कि पहला मुखतार नामा दिनांक सितंबर 29, 1999 , जो जनवरी 18, 2000 को पंजीकृत किया गया था, विवादित भुमि से संबंधित नहीं है। यह घनवत सिंह को कोई दूसरी भुमी खरीदने के लिए भी अधिकृत नहीं करता है। 14 सिंतबर 2005 को धनवत सिंह के हक में किया गया मुखतारनामा उसे चल एवं अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार देता है, लेकिन इस तरह के मुखतार नामा का संबंध भविष्य में किये जाने वाली खरीदारी से होता है, न कि पहले से किये गए इकरार नामा से । यह भी दलील दी गई है कि मुद्दई ने प्रतिवादिगण को यह कभी नहीं बताया कि धनवत सिंह उसका अटॉर्नी है । सेकंड अपील में उच्च न्यायालय द्वारा किया गया हस्तक्षेप उच्च था क्योंकि निचली अदालतों का निर्णय कानून के विपरीत था क्योंकि ट्रायल कोर्ट एवं अपीलेट कोर्ट द्वारा रिकॉर्ड किये गए निष्कर्ष तथ्यों एवं रिकॉर्ड पर आधारित नहीं है।

9. किरोधी (मृतक) बजरिए कानूनी सलाहकार बनाम राम प्रकाश एवं अन्य में इस कोर्ट ने यह माना है कि चन्द कौर (डी) बजरिए कानूनी सलाहकारगण बनाम मेहर कौर (डी) बजरिए कानूनी सलाहकारगण एवं सूरत सिंह (डी) बनाम श्री भगवान एवं अन्य के फैसले पंकजाकशी केस में संवीधान पीठ के फैसले के विपरीत है, इसीलिए यह एक दुरस्त कानून नहीं है। अतः यह मालूम पड़ता है कि संवीधान पीठ के फैसले के संदर्भ में, सेकंड अपील में कानून के ठोस प्रश्न तैयार किये जाने की आवश्यकता नहीं है, पंजाब अधिनियम के धारा 41 के संदर्भ में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथ्यों के निष्कर्ष को उलटना नहीं है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार (सेकंड अपील में) पंजाब अधिनियम के धारा 41 के प्रावधानों द्वारा सिमित है। पहला आधार यह है कि निर्णय कानून या कोई रिवाज या अपयोग जिसे कानूनी वैधता प्राप्त हो, के विपरीत है। श्री जैन की यह दलील है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय को फैसला कानून के विपरीत है, क्योंकि मुद्दई इकरारनामा को अमल में लाने में अपनी तत्परता दिखाने में विफल रहा है। एक अनुबंध पर अमल करने के लिए दिखाई जाने वाली तत्परता मोखिक एवं दस्तावेजी

साक्ष्य के आधार पर तथ्यों का निष्कर्ष है। मुद्दई की तत्परता के प्रश्न पर प्रथम अपीलीय अदालत ने निम्नलिखित निष्कर्ष अंकित किए हैं।

> "19.....अब देखने वाली बात ये है कि क्या दोनों पार्टियॉ गलत पर थीं क्योंकि जब इकरार नामा बैच मुहयया करा दिया गया है एवं प्रतिवादि सं 1 एवं 2 ने यह दिखाया है कि वे प्रतिवादी सं 3 एवं 4 की ओर से इकरार नामा कर रहे है, क्योंकि वे उनके पावर ऑफ अटॉर्नी हैं, लेकिन आज की तारीख तक प्रतिवादी न0 1 एवं 2 कोई भी मुखतारनामा पेश करने में असफल रहे हैं, जो उनके नाम से हों (प्रतिवादी सं 3 और 4 की ओर से) तथा प्रतिवादी सं 3 एवं 4 ने प्रतिवादी सं 1 एवं 2 द्वारा उनकी ओर से इकरार नामा बैच किये जाने की सत्यता पर सवाल खड़ा किया है तब जब कोई मुखतारनामा प्रतिवादी सं 1 एवं 2 के हक में नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्ष लुका–छुपि का खेल खेल रहे थे। इस प्रकार प्रतिवादीगण अब यह दलील नहीं दे सकते कि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि वादी रणधीर कौर ने धनवत सिंह के नाम से कोई मुखतारनामा किया था। वादी ने अधिवक्ता से संपर्क किया मुकदमा दायर करने के लिए स्टैम्प खरीदा, एवं दावा तकमील मआहदा खास दायर किया गया , तथा प्रतिवादिगण की ओर से कोई counter claim नहीं किया गया है, तथा वादीगण या तो money decree के हकदार थे या इकरार नामा के अनुसार उनका बयाना जब्त होना था, क्योंकि वादी की ओर से काई तत्परता/इच्छा नहीं थी। अतः यह माना जाएगा कि वादी अपना contract निभाने का इच्छुक था।

10. सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पंजाब एवं हरयाणा में सेकंड अपील में हस्तक्षेप करने का जो दायरा है वह पंजाब अधिनियम की धारा 41 द्वारा नियंत्रित होता है । CPC (संशोधन) अधिनियम 1976 (w.e.f फरवरी 1,1977) के द्वारा दिवानी प्रक्रिया संहिता में किये गए संशोधन से पहले पंजाब अधिनियम एवं दिवानी प्रक्रिया संहिता के तहत (जब संशोधन से पूर्व यह मौजूद था) सेकंड अपील में हस्तक्षेप का दायरा (गुन्जाईश) एक ही तरह के ग्राउण्ड पर था। पंजाब अधिनियम की धारा 41 एवं CPC की धारा 76 (जो अप्रील 1, 1977 से पुर्व मौजूद था) निम्न प्रकार से हैं।

Section 41 of Punjab Act	Section 76 of CPC
सेकेंड अपील– (1) निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर उच्च न्यायालय के अधिनस्थ किसी भी न्यायालय द्वारा पारित किए गए डिक्री से उच्च न्यायालय में अपील	100(1). इस संहिता के निकाय में जहॉ साफ तौर पर अन्य प्रकार से ब्यान किया गया है या कोई भी कानून जो थोड़े समय के लिए लागू है के अलावा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर उच्च न्यायालय के अधिनस्थ किसी भी न्यायालय द्वारा

दायर की जाएगी। (a) फैसला जो कानून के खिलाफ दिया गया हो, या वो किसी रिति एवं रिवाज , जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त हो। (b) वैसा फैसला जो कानून या रिति–रिवाज (जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त हो) का महत्वपूर्ण विषय निर्धारित करने में असफल रहा हो। (c) सिविल प्रकिया संहिता 1908 या किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान की गई प्रकिया में पर्याप्त त्रुटि या दोष, जो थोड़े समय के लिए लागू होती है; जो संभवतः केस के मेरिट में त्रुटि या दोष पैदा कर गया हो। (2) इस धारा के अंतर्गत ex-parte डिक्री (अपीलेट) पास किये गए के संदर्भ में भी अपील दायर की जा सकती है ।	अपील में पारित किए गए हर एक डिक्री से उच्च न्यायालय में अपील दायर की जाएगी। (a) फैसला जो कानून के खिलाफ दिया गया हो, या वो किसी रिति एवं रिवाज , जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त हो । (b) वैसा फैसला जो कानून या रिति–रिवाज (जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त हो) का महत्वपूर्ण विषय निर्धारित करने में असफल रहा हो। (c) सिविल प्रकिया संहिता या किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान की गई प्रकिया में पर्याप्त त्रुटि या दोष जो थोड़े समय के लिए लागू होती है, जो संभवतः केस के मेरिट में त्रुटि या दोष पैदा कर गया हो । (2) इस धारा के अंतर्गत ex-parte डिक्री (अपीलेट) पास किये गए के संदर्भ में भी अपील दायर की जा सकती है ।

11- Pankajakshi के केस में संवीधान पीठ के फैसले का प्रभाव यह है कि दूसरी अपील में, पंजाब एवं हरयाणा उच्च न्यायालय में हस्तक्षेप की गुंजाइश उतनी ही होगी, जितनी सिविल प्रकिया संहिता में है (1976 के संशोधन के पुर्व)। पंजाब अधिनियम की धारा 41 और CPC की धारा 100 के प्रावधान 'pari materia' हैं ।

12. इस कोर्ट के कुछ फैसले जिनमें पुराने धारा 100 के दायरे का जिकर है , उनका वर्णन करने की जरूरत है। Deity Pattabhiramaswamy V. S. Hanymayya & Ors. के फैसले में, तीन जजों ने CPC की धारा 100 की जॉच करते हुए निम्नलिखित बात कही है:–

> "15. जिला जज ने टाईटल पर अपना निष्कर्ष किसी टाईटल के दस्तावेज की बुनियाद पर नहीं निकाला बल्कि पार्टियों द्वारा पेश किए गये परासंगिक दस्तावेजी एवं मौखिक सबूतों को मानते हुए। हमारी राय में, जज साहब ने उपर्युक्त निष्कर्ष को खारिज करने के लिए साफ तौर पर अपने क्षेत्राधिकार को लांघा है। धारा 100 के प्रावधान साफ एवं स्पष्ट है।। सन 1981 में Durga Chowdhrani V. Jawahir Sing [17 IA 122] में ज्यूडिशियल कमीटी ने कहा :
>
> > "तथ्यों के त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष के आधार पर सेकंड अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है, चाहे त्रुटि कितनी भी ज्यादा क्यों न प्रतीत हो।" इस निर्णय में निर्धारित सिद्धांत का पालन Privy Council के साथ साथ इस देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा किया गया है। Midnapur Zamindari Co. V. Uma Charan [29

CWN 131] में भी ज्यूडिशियल कमीटी ने इस सिद्धांत को मजीद निम्न प्रकार से उल्लेख किया है;

"If the question to be decided is one of fact it does not involve an issue of law merely because documents which are not instruments of title or otherwise the direct foundation of rights but are merely historical documents, have to be construed".

16. और न हीं यह तथ्य कि प्रथम अपीलीय अदालत का निष्कर्ष कुछ दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है, यह किसी भी तरह तथ्य के निष्कर्ष को छोटा नहीं करता (See Wali Mohammad V. Mohammad Baksh, 11 Lahore 199). लेकिन सी.पी.सी. की धारा 100 के प्रावधानों के दायरे में इस तरह के स्पष्ट और अधिकारिक घेषणाओं के बावजूद , उच्च न्यायालयों के कुछ जज सेकंड अपीलों का निपटारा ऐसे कर रहे हैं, मानों वे फस्ट अपील का निपटारा कर रहे हो । इस तथ्य के अलावा कि उच्च न्यायालय उस क्षेत्राधिकार का उपयोग कर रहा है, जो इसके तहत नहीं आता है, यह मुकदमेंबाजी में जुए के तत्व को लाने समान है एवं इस से जनता (litigants) के मन में भ्रम पैदा हो रहा है। यह मामला उच्च न्यायालय के एक जज द्वारा सी.पी.सी. की धारा 100 के तहत निर्धारित अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर हस्तक्षेप करने का विशिष्ट उदाहरण है। अतः हमारे पास उच्च न्यायालय के डिक्री को खारिज करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय के माननीय जज के पास प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा दिये गए तथ्य के निष्कर्ष (जो प्रासंगिक सबूत पर आधारित है) के साथ दूसरी अपील में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार (क्षेत्राधिकार) नहीं है। अतः उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज किया जाता है एवं अपील को पूरे खर्च के साथ मन्जूर किया जाता है।

13. बाद में , Kshitish Chandra Bose V. Commissioner of Ranchi, इस न्यायालय के तीन जजों ने यह माना कि उच्च न्यायालय के पास तथ्य के निष्कर्षों के आधार पर दूसरी अपील को विचार में लाने का काई अधिकार नहीं है, चाहे वह त्रुटिपूर्ण ही क्यों न हो। कोर्ट ने निम्नलिखित रूप से लिखा कि :–

"11. उच्च न्यायालय के पहले फैसले को पढ़ने के बाद हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय साफ तौर से धारा 100 में निर्धारित अपने क्षेत्राधिकार को लांघ गया जब इसने ट्रायल कोर्ट एवं अपीलीय अदालत द्वारा दिए गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को (जो टाईटल एवं प्रतिकूल कब्जे पर आधारित थे) पलट दिया। Kharbuja Kuer Vs. Jangbahadur Rai [AIR 1963 Sc 1203: (1963) 1 SCR 456] में , इस कोर्ट ने यह माना है कि उच्च न्यायालय के पास तथ्य के निष्कर्षों पर दूसरी अपील को विचार में (मंजूर करने) लाने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह त्रुटिपूर्ण ही क्यों न हो। इस संबंध में कोर्ट ने निम्नलिखित रूप से लिखा :–

"यह स्थापित रूप से एक कानून है कि उच्च न्यायालय को इस आधार पर कि तथ्य का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है, सेकंड अपील को मंजूर करने का अधिकार नहीं है।

चूँकि दोनों अदालतें एक ही दृष्टिकोण से साक्ष्य के पास पहूँची और तथ्य की समवर्ती खोज की , इसलिए उच्च न्यायालय को उक्त खोज/निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार (क्षेत्राधिकार) नहीं है।"

R. Ramachandran Ayyar V. Ramalinga Chettiar [AIR 1963 Sc 302 (1963) 3 SCR 604] में भी इस न्यायालय ने इसी संदर्भ में निम्नलिखित रूप से अपना मत रखाः—

"लेकिन उच्च न्यायालय ,निचली अपीलीय अदालत द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है ,चाहे वह निष्कर्ष हाई कोर्ट को त्रुटिपूर्ण ही क्यों न प्रतीत हो, क्योंकि जैसा कि प्रिवी काउंसिल ने यह माना है चाहे त्रुटि कितनी भी गंभीर क्यों न हो, धारा 100 में उसे दुरूस्त करने का अधिकार नहीं है।"

14. एक और फैसला (Gurdev Kaur & Ors. V. Kaki & Ors.) है जिसमें कानून के प्रश्न पर सेकंड अपील को मंजूर करने केा इस अधार पर जायज ठहराया गया कि संशोधन किए जाने के बाद ऐसा करना दुरूस्त है। फैसले में यह माना गया कि 1976 के संशोधन के बाद, धारा 100 का दायरा बहुत छोटा हो गया है। कोर्ट ने लिखाः

"71. यह एक तथ्य है कि कई मामलों में यह कोर्ट हस्तक्षेप करने पर मजबूर हो गया क्योंकि धारा 100 के दायरे के पीछे जो कानूनी मंशा है, उसे न तो सराहा गया है और न ही इसे लागू किया गया है। कानून का संचालन करते समय न्यायाधिशों का एक वर्ग ईमानदारी से यह मानता है कि यदि वे इस बात से संतुष्ट है कि उनके सामने लाये गए सेकंड अपील में निचली अदालतों द्वारा सबूतों की घोर अवहेलना की गई है, तब ये अनका कर्तव्य है कि वे हस्तक्षेप करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि साक्ष्यों के घोर दुरूपयोग के फलस्वरूप पास किया गया डिक्री अन्याय है, तथा इस तरह के अन्याय का निवारण करना उच्च न्यायालय का कर्तव्य है। हम यह दोहराना चाहेंगे कि न्याय को कानून के अनुसार प्रशासित किया जाना चाहिए ।

xxxx xxxx xxxx

73. 1890 में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति ने कहा था कि तथ्य के त्रुटिपुर्ण निष्कर्ष के आधार पर (चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न प्रतीत हो) सेकंड अपील को विचार में लेने (मंजूर करने) का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी चेताया था कि भारत के किसी भी कोर्ट को धारा 100 में निहित /निर्दिष्ट आधारों को बढ़ाने को अधिकार नहीं है। "

15. Sadhu V. Mst Kishni में, पंजाब एवं हरयाणा उच्च न्यायालय के डिविजन बेंच ने 1976 से पूर्व के कानून के प्रावधनों के संदर्भ में सिंगल बेंच के फैसले को खारिज कर दिया एवं कहाः

"12. सिविल प्रकिया संहिता की धारा 100 एवं पंजाब कोर्टस एक्ट की धारा 41 द्वारा परिकल्पित दूसरी अपील का दायरा कई बार इस न्यायालय एवं उच्चतम

न्यायालय द्वारा भी न्यायिक जॉच का विषय बना रहा है। इस संदर्भ में अपीलार्थी के वकील ने निम्न केसों का हवाला दिया हैः

Detty Paitabhiramaswami V. S. Hanymayya [AIR 1959 SC 57] , Madamanchi Ram appa V. Muthaluru Bojjappa [AIR 1962 SC 1933], Bithal Dass Khanna V. Hafiz Abdul Hai [1969 S.C. Notes 481] एवं Afsar Shaikh V. Soleman Bibi [(1976) 2 SCC 142: AIR 1976 SC 163] संक्षेप में यह कि ये फैसले यह निर्धारित करते हैं कि तथ्य के त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष के आधार पर सेकंड अपील को मंजूर करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह त्रुटि कितनी ही गंभीर क्यों न हो। यह कि पहली अपीलीय अदालत का निष्कर्ष किसी दस्तावेजी सबूत पर आधारित है, यह तथ्य इस बात को श्रावित नहीं करता कि निष्कर्ष अपूर्ण है। अतः उच्च न्यायालय के एक जज को प्रासंगिक साक्ष्य का सराहना के आधार पर प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा दिए गए तथ्यों के निष्कर्ष के साथ दूसरी अपील में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार (क्षेत्राधिकार) नहीं है। माननीय जजों ने यह भी माना है कि सिर्फ कानून या प्रक्रिया में त्रुटि होने के चलते ही ऐसी अपील को विचार में लेने लायक समझा जा सकता है, किसी तथ्य में त्रुटि के चलते बिल्कुल भी नहीं ।

xxxx xxxx xxxx

14. उपर्युक्त चर्चा के मद्धेनजर, हमारा स्पष्ट रूप से यह मत है कि इशू न0 2 के तथ्यों के निष्कर्ष को खारिज करने में माननीय सिंगल बेंच ने अपने क्षेत्राधिकार को लांघा। चूँकि धारा 100 के प्रावधान स्पष्ट एवं साफ होने के कारण उन निष्कर्षों के साथ हस्तक्षेप करने की कोई गुन्जाईश नहीं थी। इसलिए अपील को मंजूर करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को खारिज करते हैं, तथा जिला जज द्वारा पारित किए गए फैसले एवं डिक्री की पुष्टि (affirm) करते हैं। पार्टियॉ अपना खर्चा खुद उठाएंगी।"

16. उपर्युक्त निर्णयों के अध्ययन से यह पता चलता है कि सेकंड अपील में यह अधिकार नहीं है कि तथ्य के निष्कर्षों के साथ हस्तक्षेप किया जाए, इस आधार पर कि निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो। तथ्य के निष्कर्ष में दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तैयार किए गए निष्कर्ष भी शामिल होंगे। दूसरी अपील में हस्तक्षेप करने का क्षेत्राधिकार सिर्फ वहॉ है जहॉ कानून या प्रक्रिया में त्रुटि है, न कि तथ्य से संबंधित त्रुटि पर ।

17. उपरोक्त मद्धेनजर, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय केवल सबूतों की सराहना के बाद दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षो के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सका बस इसलिए क्योंकि उच्च न्यायालय ने सोचा कि एक और दृष्टिकोण बेहतर दृष्टिकोण होगा। पहली अपीलीय अदालत ने वादी की ओर से जमीन

खरीदने के लिए पहले मुखतारनामा (पावर ऑफ अर्टार्नी) में clause की अनुपस्थिति को विचार में लिया है; तथ्य कि वादी साक्षी के रूप में पेश नहीं हुआ है।

18. रिकार्ड किए गए निष्कर्ष के अध्यन से यह पता चलता है कि पहली अपीलीय अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वादी कॉनट्रैक्ट का पालन करने के लिए इच्छुक था तथा प्रतिवादीगण यह दलील नहीं दे सकते कि वे इस बात से अवगत नहीं थे कि धनवत सिंह के पास पावर ऑफ अटॉर्नी थी। अतः यह नहीं कहा जा कहा जा सकता कि अपीलीय अदालत द्वारा रिकॉर्ड किया गया निष्कर्ष उस कानून के विपरीत नहीं है, जिसके तहत उच्च न्यायालय को यह अधिकार (क्षेत्राधिकार) प्राप्त होता है कि वह पहली अपीलीय अदालत द्वारा रिकॉर्ड किए गए निष्कर्ष के साथ हस्तक्षेप करे।

19. प्रविवादीगण के वकील ने ऐसा कोई तर्क नहीं दिया है कि पहली अपीलीय अदालत कानून के कुछ मुद्दों को निर्धारित करने में विफल रहा है, जो तथ्य के निष्कर्षों के साथ हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय पर अधिकार क्षेत्र प्रदान कर सकता है और न ही कोई पर्याप्त त्रुटि है या सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया में दोष या किसी अन्य कानून द्वारा , जो थोड़े समय के लिए प्रभाव में है एवं जिसने संभवतः फैसले में (on merits) त्रुटी या दोष पैदा कर दिया हो। अतः सिर्फ इस बुनियाद पर कि मुद्दई यह साबित करने में विफल रहा कि मुखतारनामा धनवत सिंह के नाम था, उच्च न्यायालय को यह हक (क्षेत्राधिकार) नहीं था कि वह तथ्य के निष्कर्षों के साथ हस्तक्षेप करे।

20. मुद्दई ने अपने लड़के धनवत सिंह के जरिए प्रतिवादिगण के साथ जमीन खरीदने का इकरारनामा किया था एवं उन्हें 13,50,000/- रू0 अदा कर दिये थे। प्रतिवादिगण ने धनवत सिंह से 13,50,000/- रू0 तो लिए मगर उन्होंने धनवत सिंह के अधिकार (कि वह अपनी मॉ की ओर से इकरार नामा बैच करने का अधिकार रखता है) को विवादित माना। धनवत सिंह जनवरी 31, 2005 को सेल डीड के निष्पादन के लिए हाजिर हुआ, इस दलील के साथ कि वह जरे समन (consideration amount) की शेष राशि लेकर आया है लेकिन प्रतिवादीगण नहीं आये हैं। असल में यह हुआ कि प्रतिवादिगण इस बात से संतुष्ट हो गए कि वे 28 जनवरी 2005 (यानि कि बैच नामा कि रजिस्ट्री के लिए तैय की गई तारीख अर्थात 30 जनवरी 2005 से पहले) सब रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हो हुके हैं। चूँकि जनवरी 30, 2005 रविवार था, इसलिए General Clauses Act 1897 के Section 10 में निहित प्रावधानों के तहत, अगला कार्य दिवस (next working day) यानि की 31 जनवरी 2005 को इकरार नामा के मुआहदा को अमल में लाने का दिन माना जाएगा, एवं इस तारीख को धनवत सिंह जरे समन की बकाया राशि के साथ पेश हुआ एवं अपनी हाजरी मार्क करवाली।

21. वित्तिय क्षमता के संदर्भ में रिकॉर्ड पर यह आया है कि बैच नामा (Exh.P-15 एवं Exh. P-16), 30 जनवरी 2005 के पुर्व रंधीर कौर द्वारा निष्पादित किए गए थे ताकि प्रतिवादिगण को पैसे का भुगतान किया जा सके ताकि वे इकरारनामा की शर्तों के अनुसार बैच नामा का निष्पादन (execute) कर सकें। अतः सिर्फ इस बुनियाद पर कि इकरारनामा की तारीख पर मुद्दई के लड़के (धनवत सिंह) के हक मे कोई विशेष पावर ऑफ अटर्नी नहीं था, उच्च न्यायालय को दूसरी अपील में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार (अधिकार क्षेत्र) नहीं था।

22. उपरोक्त के मद्देनजर उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज किया जाता है एवं निचली अदालत तथा अपीलीय अदालत द्वारा पारित किए गए डिक्री को बहाल किया जाता है। मुद्दई को दो महीने का वक्त दिया जाता है , जिसके अन्दर वह जरे समन की बकाया राशि प्रतिवादिगण सं0 1 एवं 2 को अदा करेंगे तथा राशि की वसूली के बाद प्रतिवादिगण मुद्दई के हक में बैच नामा execute करेंगे। अगर प्रतिवादीगण को राशि नहीं वसूल होती है, तब मुद्दई को यह आजादी होगी कि वह राशि executing court के पास जमा करें एवं कानून के अनुसार डिक्रि के निष्पादन की मांग करें।

23. अपील मंजूर की जाती है। कोई खर्चा नहीं ।

एल.नागेसवरा राव, न्यायमूर्ति
(L.Nageswara Rao, Judge)

हेमन्त गुप्ता, न्यायमूर्ति
(Hemant Gupta, Judge)

नई दिल्ली

जुलाई 24, 2019

××××××××

अस्वीकरणः क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय से आशय केवल पक्षकारों को उनकी अपनी भाषा में समझने के लिए है एवं इसका प्रयोग किसी अन्य उद्धेश्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक एवं कार्यालयीन उद्धेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण हीं प्रमाणित होगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्धेश्य के लिए प्रभावी माना जाएगा ।

Disclaimer:-The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

Translated by:- Syed Kashif Raza Sabri, Urdu Translator.

Revised by:- ----------

Typed by:- Neeraj Kumar Mishra. Senior Assistant.

Examined by:- ----------